Hkkx&,d
foHkkxh; lajpuk

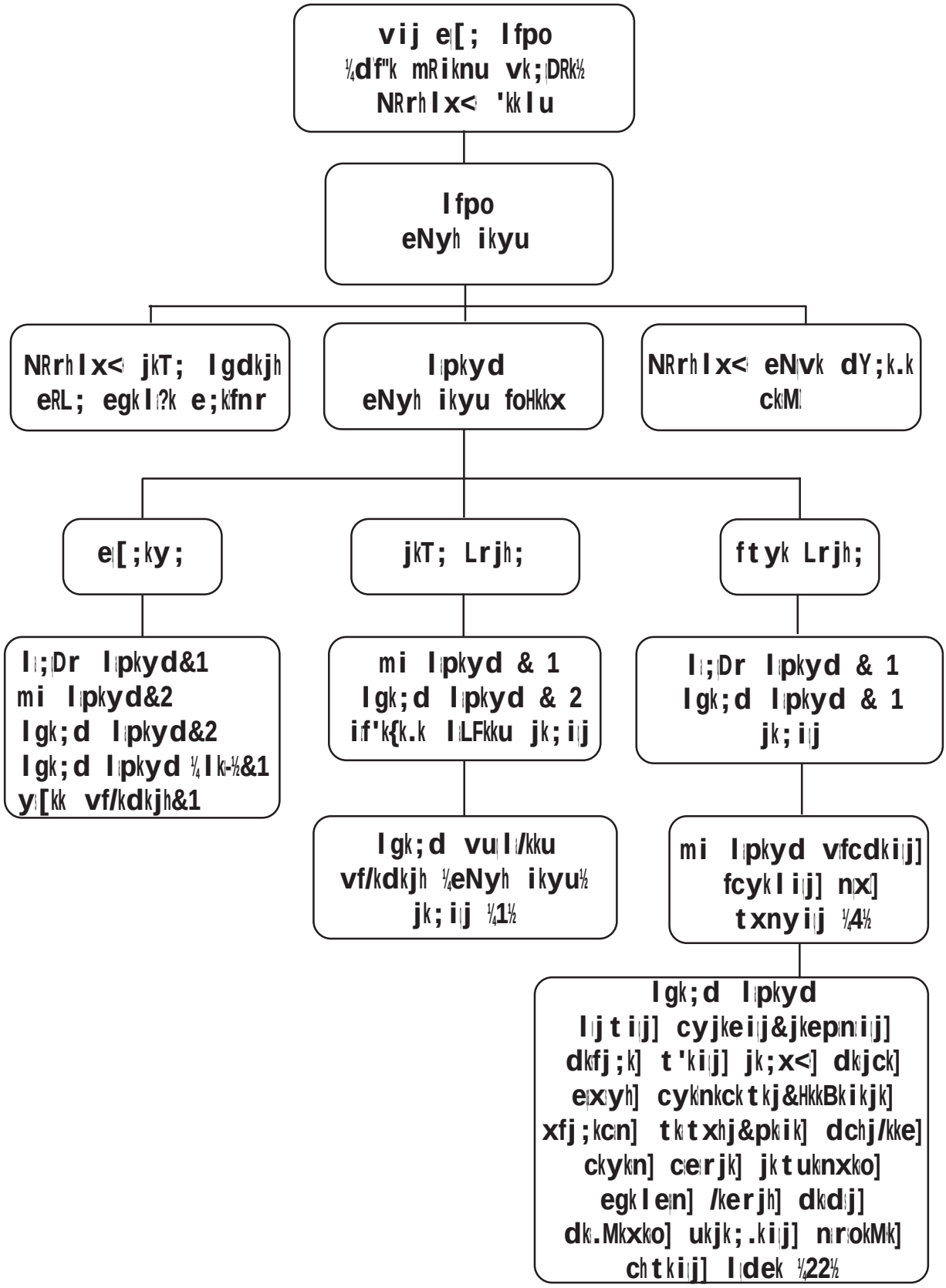

1-2 foHkkx dk Lo:i ¼<kpk½ %&

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के पूर्व से ही राज्य में मछली पालन विकास कार्यक्रम संचालित है। मछली पालन विकास के विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए विभाग में निम्नानुसार अमला स्वीकृत हैः–

eNyh ikyu foHkkx e Lohd`r] dk;jr ,o fjDr ink dh tkudkjh

d-	J.kh	Lohd`r in l[;k	dk;jr in l[;k	fjDr in
1	प्रथम श्रेणी	10	08	02
2	द्वितीय श्रेणी	31	20	11
3	तृतीय श्रेणी	435	382	53
4	चतुर्थ श्रेणी	267	239	28
	;kx	**743**	**649**	**94**

1-3 NRrhlx< jkT; eRL; egkl?k ¼lgdkjh½ e;kl- jk;iqj dk <kpk %&

यह प्राथमिक मछुआ सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है, जिसका प्रमुख कार्य ब्रूडबैंक एवं अन्य हैचरियों से उन्नत प्रजातियों का मत्स्य बीज उत्पादन कर मत्स्य पालकों में विक्रय करना तथा सहकारिता के माध्यम से मत्स्य पालन विकास किया जाना है। वर्ष 2015–16 तक कुल 491 मत्स्य सहकारी समिति सदस्य हैं।

jkT; e egkl?k d dk;k dk lpkfyr dju d fy, fuEukuqlkj veyk dk;jr g%&

d-	J.kh	Lohd`r in	dk;jr l[;k	fjDr in
1	प्रथम श्रेणी	5	3	2
2	द्वितीय श्रेणी	7	4	3
3	तृतीय श्रेणी	27	10	17
4	चतुर्थ श्रेणी	78	52	26
	;kx	**117**	**69**	**48**

1-4 foHkkx d vrxr vku oky eMy@midne@lLFkkvk dk fooj.k eRL; egkl?k&

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य (सहकारी) मत्स्य महासंघ का गठन कार्यालय सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. के पंजी. क्र. 213/भोपाल दिनांक 30.10.2000 से हुआ है। यह प्राथमिक मछुआ सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है, जो मत्स्य संस्थाओं के सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है।

वर्तमान में मत्स्य महासंघ के अधीन 12 सिंचाई जलाशय (कुल जलक्षेत्र 32145.75हैक्टर) उपलब्ध है। वर्ष 2014–15 में मछली पालन नीति में संशोधन कर 1000 हैक्टेयर से बड़े जलाशय मत्स्य महासंघ को रायल्टी आधार पर मछली पालन हेतु सौंपे गए हैं। पंगेशियस मत्स्य पालन, झींगा पालन तथा मेजर कार्प पालन एवं प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का भी महासंघ द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को ताजी मत्स्य प्राप्त हो इस हेतु खूंटाघाट बिलासपुर, सेक्टर–10 भिलाई में रीटेल आउटलेट 2014–15 से संचालित की जा रही है।

orleku e eRL; egkl?k d ikl fuEu tyk'k; rFkk i{k= g&

d-	eRL; cht i{k=	{k=Qy gDVj
1	देमार (जिला–धमतरी)	26.50
2	सेलूद (जिला–दुर्ग)	10.50
3	खुटेलाभाटा (जिला–दुर्ग)	14.00
4	खुटांघाट (जिला–बिलासपुर)	2.12
5	एतमानगर (जिला–कोरबा)	2.50
6	दुघावा (जिला–कांकेर)	3.00
	;kx&	**58-62**

Ø-	tyk'k;	ty{k= gDVj
1	दुधावा (जिला–कांकेर)	2511.00
2	माड़मसिल्ली (जिला–धमतरी)	1387.00
3	सिकासेर (जिला–रायपुर)	1174.00
4	मनोहर सागर (जिला–राजनांदगांव)	2518.00
5	कोडार (जिला–महासमुन्द)	2075.00
6	खरखरा (जिला–दुर्ग)	1875.00
7	तांदुला (जिला–दुर्ग)	2275.00
8	गोंदली (जिला–दुर्ग)	1118.00
9	दर्री (जिला–कोरबा)	1333.75
10	खुड़िया (जिला–बिलासपुर)	1667.00
11	खूंटाघाट (जिला–बिलासपुर)	2712.00
12	हसदेव बांगो (जिला–कोरबा)	11500.00
	;kx&	**32145-75**

NRrhlx< eNqvk dY;k.k cksM] jk;iqj

छत्तीसगढ़ शासन कृषि मछली पालन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6–12/36/यो/2013 दिनाँक 09 मई 2013 के द्वारा मछुआ कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है तथा छ.ग.शासन मछली पालन विभाग के द्वारा बोर्ड अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गई है। बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में है।

cksM dk mn~ns'; %&

राज्य में मत्स्य विकास कार्यक्रम अपेक्षानुकूल हो एवं प्रदेश के परंपरागत वंशानुगत मछुआरों एवं अन्य वर्ग के मत्स्य पालकों के कल्याण एवं विकास संबंधी बिन्दुओं पर विचार करने नई योजनाएँ बनाने, पुराने कार्यक्रम में परिवर्तन करने तथा मत्स्य पालन से संबंधित अन्य विषयों पर प्रासंगिक सुझाव देना है। इसी प्रकार मछली पालन में शिक्षित युवाओं एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देने एवं ज्ञान, कौशल उन्नयन, मिश्रित खेती, प्रौद्योगिकीय एवं विपणन सशक्तीकरण के लिए उपायों की अनुशंसाएं देना है। बोर्ड की प्रकृति विकासात्मक होगी तथा हितग्राहियों के विकास एवं आर्थिक उन्नति के लिए होगी। मछुआ कल्याण बोर्ड स्वप्रेरणा से या अन्य प्रकार से मछुआरों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनके निराकरण हेतु सुझाव राज्य शासन को प्रेषित करेगा।

cksM dh LVkQ ikth'ku dh tkudkjh %&

d-	inuke	Lohd`r in	dk;Zjr in	fjDr in	fjekdZ
1	सचिव	**01**	01	–	&
2	तकनीकी सहायक	01	01	–	&
3	शीघ्रलेखक	02	01	01	&
4	स्टेनो टायपिस्ट/कम्प्यूटर आपरेटर	01	–	01	&
5	सहायक वर्ग 3	02	–	02	&
6	भृत्य	04	03	01	&
7	चौकीदार	01	–	01	&
	;ksx	**12**	**06**	**06**	&

1-5 foHkkx ds nkf;Ro

foHkkx ds fuEu dk;Z nkf;Ro fu/kkZfjr gSa %&

1. उपलब्ध जल संसाधनों को मछलीपालन अंतर्गत लाना तथा अतिरिक्त जलक्षेत्र का विकास करना।
2. आधुनिक तरीके से मत्स्यपालन कर मछली का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना। प्रोटीन युक्त आहार उपलब्ध कराना।
3. मछलीपालन व्यवसाय से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना।
4. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के मछुआरों की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति का उत्थान किया जाना।
5. कृषकों की स्वयं की भूमि में मत्स्य पालन हेतु तालाब में परिवर्तित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
6. मत्स्य विपणन को सुदृढ़ करना, प्रशीतन इकाई एवं शीत श्रृंखला आदि की स्थापना।
7. मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
8. सर्वांगीण विकास के लिए एकीकृत मत्स्यपालन एवं झींगापालन को बढ़ावा देना।
9. मलेरिया की रोकथाम हेतु गम्बूसिया मछली का उत्पादन किया जाना।
10. अलंकारिक मत्स्यपालन को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करना।
11. प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु नयी मत्स्य प्रजातियों जैसे पंगेसियस सूची के पालन को बढ़ावा देना।

1-6 foHkkx ls lacaf/kr lkekU; tkudkjh

1-6-1 NRrhlx<+ esa eRL; fodkl

छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन विकास काफी प्रगति पर है। राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से मछली पालन एक विशिष्ट स्थान रखता है। राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायवीय स्थितियां भी मछलीपालन हेतु उपयुक्त है। मछलीपालन अधिक आय, कम लागत और कम समय में सहायक धन्धे के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यन्त लोकप्रिय है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है। मछली पालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, साथ ही मछली जैसे पौष्टिक खाद्य का उत्पादन बढ़ाकर कुपोषण को दूर किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा इस धन्धे से जुड़े मछुआरों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिये गये है तथा उनका लाभ भी अधिक उत्पादन के रूप में परिलक्षित होने लगा है। राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन हेतु अग्रानुसार संसाधन उपलब्ध है।

1-6-2 eRL; cht mRiknu ds lk/ku

¼ty{k= gDVj esa½

क्र.	विवरण	चायनीज हैचरी		मत्स्य बीज प्रक्षेत्र		संवर्धन पोखर	
		संख्या	जलक्षेत्र	संख्या	जलक्षेत्र	संख्या	जलक्षेत्र
1	विभागीय	34	77.02	38	46.63	589	153.29
2	मत्स्य महासंघ	09	39.69	01	0.50	5	1.00
3	निजी क्षेत्र	26	78.00	21	28.93	127	53.29
	;ksx	**69**	**194-71**	**60**	**76-06**	**721**	**207-58**

राज्य में 07 कैट फिश हैचरी (शासकीय) स्थित है। ग्राम–सांकरा, जिला–धमतरी में एक शासकीय तथा माना, रायपुर मे एक निजी पंगेशियस हैचरी का निर्माण किया गया है।

1-6-3 eRL; mRiknu ds lk/ku

प्रदेश में मछली पालन के लिए 1.665 लाख हैक्टर जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से अब तक 1.572 लाख हैक्टर जलक्षेत्र विकसित किया जा चुका है,जो कुल उपलब्ध जलक्षेत्र का 94.41 प्रतिशत है। प्रदेश के वृहद जलाशय सोंढूर में वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी अधीनियम के तहत् मत्स्य पालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। 3573 कि.मी. लम्बा नदीय जलक्षेत्र प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। विवरण निम्नानुसार है :–

dzekad	**fooj.k**	**miyC/k ty{k=**		**eRL; ikyu vUrxZr**	
		rkykc l[;k	**gDVj ¼yk[k esa½**	**rkykc l[;k**	**gDVj ¼yk[k esa½**
1	**xzkeh.k**	67,159	0.839	59,175	0.772
2	**flapkbZ**	1,770	0.826	1,649	0.800
	;ksx	**68]929**	**1-665**	**60]824**	**1-572**

1-6-4 राज्य में सघन मत्स्यपालन को लोकप्रिय बनाने तथा राज्य के कृषकों को सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण सह प्रदर्शन इकाई की स्थापना जिला रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, बालोद, कबीरधाम, रायगढ़, राजनांदगांव, जांजगीर, महासमुन्द, धमतरी, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, कांकेर, बलौदाबाजार एवं दुर्ग में की गई है।

1-6-5 राज्य की राजधानी रायपुर में एक विशाल मत्स्यालय भवन स्थापित किए जाने का कार्यक्रम भी लिया गया है। इस हेतु वर्ष 2009–10 तक रूपये 70.00 लाख 'लोक निर्माण विभाग' में जमा

किये जा चुके हैं, मत्स्यालय पुरखौती मुक्तांगन, रायपुर में निर्मित किये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य निर्माण एजेंसी, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारंभ होगा। वर्ष 2015–16 में रूपये 100 लाख एवं वर्ष 2016–17 में 250 लाख लोक निर्माण विभाग को प्रावधानित।

1-6-6 वर्ष 2014–15 में श्री प्रशांत सांतरा, जिला–दुर्ग को ''बिलासा बाई केंवटिन पुरस्कार'' प्रदान किया गया। वर्ष 2015–16 में रूपये 1.00 लाख का पुरस्कार श्री मुश्ताक खान, बगौद, कुरूद, जिला–धमतरी, को प्रदाय किया गया, वर्ष 2016–17 में श्री सानेन्द्र बघेल, कुरूदडीह, पाटन, जिला–दुर्ग को रूपये 1.00 लाख का पुरस्कार प्रदान किया गया।

1-6-7 राज्य के युवाओं को मछली पालन विषय पर उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला–कबीरधाम में मत्स्य महाविद्यालय 2010–11 में प्रारंभ। वर्ष 2014–15 में रूपये 1.30 करोड़ अनुदान तथा दिसंबर 2016 (2016–17) में रूपये 1.25 करोड़ प्रावधानित।

1-6-8 राज्य के मछुओं के सामाजिक विकास हेतु मछुआ कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 2013–14 में की गई।

1-7 foHkkx dh izeq[k fo'ks"krk,a

विभाग द्वारा सामान्यतः निम्न उद्देश्यों से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है :–

1-7-1 मत्स्य कृषकों को उन्नत मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना ।

1-7-2 उन्नत मत्स्य पालन तकनीक ग्रामीण स्तर तक फैलाने/प्रचार प्रसार क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्थल पर जाकर सलाह देना।

1-7-3 मत्स्य विकास के विभिन्न कार्यो हेतु विभिन्न वर्ग के हितग्राहियों को व्यवसायिक बैकों से ऋण उपलब्ध करवाना तथा अनुदान देना।

1-7-4 मछुआ कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनायें यथा बीमा, मछुआ आवास, प्रदर्शन इकाई, नई योजना इत्यादि संचालित करना।

1-7-5 200 हैक्टर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय के मत्स्य विकास के अधिकार त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं को अतंरित कर विभिन्न योजनाओं हेतु हितग्राही चयन, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता इत्यादि कार्य पंचायत के माध्यम से संचालित करवाना।

1-7-6 आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ग्रामीण तालाब 10 वर्षों के पट्टे पर देकर मछली पालन के साधन उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति हेतु कार्य करना तथा मत्स्योत्पादन में वृद्वि करना।

1-7-7 प्रदेश में उपलब्ध जलक्षेत्र को विकसित कर मछली पालन अन्तर्गत लाना। मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाना।

1-8 egRoi.k lkf[;dh o"k 2015&16

d-	fooj.k	bdkbl	miyfC/k
1	**Tky Lklk/ku**		
1.1	**eNyh ikyu gsrq miyC/k ty{k=**	हैक्टर लाख में	1.665
1.2	सिंचाई जलाशयों का जलक्षेत्र	हैक्टर लाख में	0.826
1.3	ग्रामीण तालाबों का जलक्षेत्र	हैक्टर लाख में	0.839
1.4	नदियों एवं सहायक नदियों की लम्बाई	किलोमीटर	3573
2	**eNyh ikyu vUrxr ty{k=**	हैक्टर लाख में	1.572
2.1	सिंचाई जलाशयों का जलक्षेत्र	हैक्टर लाख में	0.800
2.2	ग्रामीण तालाबों का जलक्षेत्र	हैक्टर लाख में	0.772
3	**eRL; cht mRiknu dh fy, miyC/k lalk/ku**		
3.1	चायनीज हैचरी	संख्या / हैक्टर	69 / 194.71
3.1.1	विभाग	संख्या / हैक्टर	34 / 77.02
3.1.2	मत्स्य महासंघ	संख्या / हैक्टर	9 / 39.69
3.1.3	निजी	संख्या / हैक्टर	26 / 78.00
3.2	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र	संख्या / हैक्टर	60 / 76.06
3.2.1	विभाग	संख्या / हैक्टर	38 / 46.63
3.2.2	मत्स्य महासंघ	संख्या / हैक्टर	1 / 0.50
3.2.3	निजी क्षेत्र	संख्या / हैक्टर	21 / 28.93
3.3	संवर्धन पोखर	संख्या / हैक्टर	721 / 207.58
3.3.1	विभाग	संख्या / हैक्टर	589 / 153.29
3.3.2	मत्स्य महासंघ	संख्या / हैक्टर	5 / 1.00
3.3.3	निजी क्षेत्र	संख्या / हैक्टर	127 / 53.29
4	**eRL; cht mRiknu**		
4.1	**Liku**	लाख	59,445
4.1.1	विभाग	लाख	15,174
4.1.2	मत्स्य महासंघ	लाख	8,444
4.1.3	निजी	लाख	35,827
4.2	**LV-Qkbl**	लाख	14,917
4.2.1	विभाग	लाख	2,360
4.2.2	मत्स्य महासंघ	लाख	670
4.2.3	निजी	लाख	11,887
5	**eRL; cht lap;u ¼LV.MM Ýkb½**	लाख	10,249
5.1	विभाग	लाख	10
5.2	मत्स्य महासंघ	लाख	234
5.3	निजी	लाख	10,005
6	**eRL;kRiknu &**		3,42,299
6.1	विभाग	(मैट्रीक टन)	25
6.2	निजी	(मैट्रीक टन)	3,41,150
6.3	मत्स्य महासंघ	(मैट्रीक टन)	1,124
7	**eRL; mRiknrk &**		
7.1	ग्रामीण तालाबों से	कि.ग्रा. / हे.	3,055
7.2	सिचाई जलाशयों से	कि.ग्रा. / हे.	202

1-8 egRoi.k lkf[;dh o"k 2015&16

क्र.	विवरण	bdkbZ	miyfC/k
8	**eNvk ifr'k{k.k &**		
8.1	10 दिवसीय प्रशिक्षण	संख्या	6000
8.2	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	संख्या	450
8.3	रीफ्रेशर कोर्स	संख्या	10,000
9	**eRL; ikyu ilkj &**		
9.1	झींगा पालन	इकाई	409
9.2	मत्स्यबीज संवर्धन	तालाब	204
9.3	फुटकर विक्रेताओं को सहायता	हितग्राही	363
9.4	तालाबों में फिगरलिंग संचय	तालाब	7,149
9.5	नाव–जाल वितरण	हितग्राही	856
9.6	नक्सल क्षेत्र में मत्स्यबीज संचय	तालाब	500
10	**eNvk lgdkjh lfefr;ka dk lgk;rk**	समिति	233
11	**eRL; thfo;ka dk n?kVuk chek**	संख्या	2,10,000
12	**jk"Vh; d`f"k fodkl ;kstuk &**		
12.1	प्रदर्शन इकाई	संख्या	10
12.2	संतुलित आहार वितरण (हितग्राही)	हितग्राही	2000
12.3	फुटकर विक्रेताओं को सहायता	हितग्राही	2222
12.4	समितियों को नाव–जाल प्रदाय	समितियों	103
12.5	मत्स्यबीज संवर्धन	तालाब	152
12.6	जलाशयों में फिंगरलिंग संचय	हैक्टयर	7800
12.7	तालाब निर्माण	हैक्टयर	100
12.8	मत्स्य बीज हैचरी निर्माण	संख्या	1
12.9	तालाबों में फिंगरलिंग संचयन	तालाब	1000
12.10	सीफेक्स वितरण	तालाब	3000
	jk"Vh; ekfRL;dh; fodkl cksMZ &		
	जलाशयों में संचयन	जलाशय संख्या	13
	थोक बाजार निर्माण	संख्या	4
	अधिकारियों का शिक्षण भ्रमण	संख्या	10

14- eNvk lgdkfjrk

क्र.	श्रेणी	पुरूष वर्ग		महिला वर्ग		कुल योग	
		समिति सं.	सदस्य	समिति सं	सदस्य	समिति सं	सदस्य
1	सामान्य वर्ग	879	30,749	21	534	900	31,283
2	अनुसूचित जन जाति	303	9,635	19	554	322	10,189
3	अनुसूचित जाति	84	2,189	9	235	93	2,424
	;ksx	**1]266**	**42]573**	**49**	**1]323**	**1]315**	**43]896**

Hkkx & nks

2-1 ctV fogxkoyksdu ¼,d nf"V esa½

¼vizSy 2016 ls fnlEcj 2016½

¼:i;s yk[k esa½

घटक	अनुदान	बजट प्रावधान		व्यय	
		आयोजनेत्तर	आयोजना	आयोजनेत्तर	आयोजना
सामान्य क्षेत्र	16– मछली पालन	3698.78	1607.52	2244.67	357.05
	80– त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0	727.86	0	411.37
	;ksx %&	**3698-78**	**2335-38**	**2244-67**	**768-42**
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	41– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	0	1328.02	0	426.45
	82– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0	451.39	0	258.65
	;ksx %&	**0**	**1779-41**	**0**	**685-10**
विशेष घटक योजना	64– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	0	5.82	0	3.72
	15– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0	403.48	0	110.82
	;ksx %&	0	**409-30**	**0**	**114-54**
	egk;ksx %&	**3698-78**	**4524-09**	**2244-67**	**1568-06**

Vhi %& सामान्य क्षेत्र में रूपये 250 लाख का प्रावधान लोक निर्माण विभाग को मांग संख्या–67 (सामान्य योजना) अंतर्गत प्राप्त है।

Hkkx & nk

2-2 ;ktukokj y{;] ctV iko/kku ,o O;;

¼vily 2016 l fnlEcj 2016½ ¼:i;s yk[k e½

d	;ktuk dk uke	bdkbZ	Hkkfrd y{;	foRrh; iko/kku	O;;
1	2	3	4	5	6
v	jkT; ;ktuk,a				
1.	मत्स्यबीज उत्पादन (स्टेण्डर्ड फ्राई)	लाख	15,590	409.00	297.34
2.	जलाशयों तथा नदियों में मत्स्योद्योग का विकास	मे. टन	3,75,658	219.46	60.39
3.	मत्स्यपालन प्रसार (हितग्राही)	संख्या	11,006	468.18	250.80
4.	मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान	संख्या	198	290.00	205.72
5.	शिक्षण–प्रशिक्षण	संख्या	17,010	192.00	149.72
6.	मत्स्यालय एवं अनुसंधान	संख्या	प्रदर्शनी	8.00	–
7.	बिलासा बाई पुरस्कार योजना	संख्या	01	1.00	1.00
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हितग्राही)	संख्या	7,293	2070.00	502.77
9.	मत्स्य महाविद्यालय हेतु अनुदान	–	अध्ययन	125.00	45.00
10.	मछुओं को मत्स्य पालन में वृद्धि/बीमारी/प्रबंधन हेतु सहायता	संख्या	50	5.00	0
	;kx			3787-64	1512-74
c-	dUnz iofrZr ;ktuk,a				
1.	अंतर्देशिय मात्स्यिकी और जलकृषि विकास (राज्य 25% केन्द्र 75%)	हैक्टर	985	133.30	14.14
2.	मछुआ आवास एवं सेविंग कम रिलिफ (राज्य 50% केन्द्र 50%)	हितग्राही	6,665	480.80	0
3.	मछुओं का दुर्घटना बीमा (राज्य 50% केन्द्र 50%)	हितग्राही	2,10,000	21.35	21.35
4.	जलाशय में मत्स्य विकास (राज्य 50% केन्द्र 50%)	जलाशय	13	5.50	5.47
	;kx			640-95	40-96
l-	dUnz {k= ;ktuk	जिले			
1	डाटाबेस एवं जी. आई. एस. (सर्वेक्षण)		27	95.50	14.36
	;kx %&			95-50	14-36
	;kx (vcl)			4524-09	1568-06

Hkkx&rhu

jkT; ;ktuk ,o dUnz iofrZr ;ktuk

3-1 jkT; ikf"kr ;ktuk,a

3-1-1 eRL; cht mRiknu %& मछली पालन हेतु मछली का बीज मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश मे उपलब्ध जल संसाधन में मछली पालन के लिए वर्ष में कुल 98.16 करोड़ स्टे. फ्राई की आवश्यकता है। जिसके लिए राज्य में दिसम्बर 2016 तक कुल 153.71 करोड़ फ्राई का उत्पादन किया गया है। राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है।

foxr rhu o"kksZ esa eRL; cht mRiknu fuEukuqlkj jgk %& ¼vkadM+s yk[k esa½

Ok"kZ	Hkkfrd		foRrh;	
	y{;	miyfC/k	vkoaVu	O;;
2014–15	13,500	13,514	385.60	335.24
2015–16	14,900	14,917	331.70	330.80
2016–17 (दिसं.16)	15,590	15,371	409.00	295.69

3-1-2 dsV fQ'k gspjh fuekZ.k & राज्य में कैट फिश के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2013–14 में एक नवीन पंगेशियस हैचरी, जिला–धमतरी में निर्मित। सात मांगुर हैचरी (दुर्ग, रायपुर, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, कोण्डागांव, कोरिया में) निर्मित। वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 (दिसम्बर तक) में क्रमशः 3.05, 1.95 एवं 2.131लाख मांगुर फ्राई उत्पादित।

3-1-3 eRL; cht gspjh@iz{ks= fuekZ.k & राज्य को मत्स्य बीज उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2010–11 में दो हैचरी (बलरामपुर, धमतरी) एवं 2012–13 में बेमेतरा में एक हेचरी रूपये 60.00 लाख की इकाई लागत से स्वीकृत। वर्ष 2013–14 में मुंगेली में एवं 2014–15 में दंतेवाडा एवं 2015–16 में सकरेली, सक्ती जांजगीर में एक हैचरी निर्माण की स्वीकृति दी गई।

3-1-4 tyk'k;ksa ,oa ufn;ksa esa eRL;ks|ksx fodkl & राज्य में कुल उपलब्ध जलक्षेत्र का 49.6 प्रतिशत हिस्सा जलाशयों का है। वर्तमान नवीन मछलीपालन नीति 2015 के तहत् 200 से 1000 हैक्टेयर जलक्षेत्र के सिंचाई जलाशय पट्टे पर देने एवं प्रबंधन के अधिकार विभाग को प्रदत्त किये गये हैं। नीति अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों को उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत स्थित 200 हेक्टर तक सिंचाई जलाशय स्थानीय मछुआरों को निर्धारित प्राथमिकता क्रम अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है। विभाग द्वारा वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमशः 17, 17 एवं 17 जलाशयों में क्रमशः 69.03, 70.93 एवं 109.93 लाख मत्स्य बीज एवं एनीकट्स में वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमशः 76.20, 143.111, तथा 92.26 लाख मत्स्य बीज संचय कराया गया है।

राज्य में उपलब्ध जल संसाधन से **foxr rhu o"kkZ e** मत्स्य बीज संचयन/मत्स्योत्पादन निम्नानुसार हैः–

3-1-5 jkT; dk lap;u

vkdMs yk[k e

Ok"kZ	Hkkfrd ¼LV-Qkb½		foRrh;	
	y{;	miyfC/k	vkoVu	O;;
2014–15	9,706	9,889	आवंटन एवं व्यय नीचे मत्स्योत्पादन की जानकारी के साथ अंकित है।	
2015–16	9,752	10,249		
2016–17 (दिसं. 16)	9,816	10,104		

3-1-6 jkT; dk eRL;ksRiknu

vkdMs yk[k e

Ok"kZ	Hkkfrd (मे.टन)		foRrh;	
	y{;	miyfC/k	vkoVu	O;;
2014–15	3,10,221	3,14,164	283.89	281.99
2015–16	3,40,594	3,42,299	224.96	219.30
2016–17 (दिसं. 16)	3,75,658	2,87,074	224.96	66.26

3-1-7 izfr gsDVj vkSlr eRL;ksRiknu foxr rhu o"kksZ e fuEukuqlkj jgk

Ok"kZ	Xkzkeh.k rkykcksa ls	flapkbZ tyk'k;ksa ls
2014–15	3035	193
2015–16	3055	202
2016–17 (दिसं. 16)	3105	211

3-1-8 jkstxkj l`tu ¼ekuo fnol yk[k e½

विगत तीन वर्षो में विभाग द्वारा निम्नानुसार रोजगार सृजन किया गया

Ok"kZ	y{;	miyfC/k
2014–15	110	150
2015–16	110	211
2016–17 (दिसं. 16)	110	113

3-1-9 eRL; lgdkfjrk

प्राथमिकता के आधार पर मछली पालन का कार्य मत्स्य सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। प्रदेश में मछली पालन से जुड़े मछुआरों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए एक हेक्टर से बड़े समस्त जलाशय मत्स्य सहकारी समितियों को पट्टे पर देने हेतु, प्राथमिकता दी गई है। समितियों को मत्स्याखेट उपकरण, जलाशय पट्टा राशि, मत्स्य बीज क्रय आदि हेतु ऋण एवं अनुदान दिया जाता है।

foxr rhu o"kksZ esa iathd`r eNqvk lgdkjh lfefr;ksa fuEukuqlkj jgh %&

Ok"kZ	oxZ	lfefr la[;k	lnL; la[;k
2014–15	पुरूष	1,178	38,470
	महिला	42	1,259
	;ksx	**1]220**	**39]729**
2015–16	पुरूष	1,266	42,573
	महिला	49	1,323
	;ksx	**1]315**	**43]896**
2016–17 (दिसं. 16)	पुरूष	1,290	43,237
	महिला	49	1,323
	;ksx	**1]339**	**44]560**

3-1-10 eRL; lgdkjh lfefr dks vuqnku

मत्स्य सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनुदान प्रदाय किया जाता है।

foxr rhu o"kksZ esa vuqnku miyC/k djk;k x;k ¼:i;s 3-00 yk[k vuqnku ;kstuk½

Ok"kZ	आवंटन	व्यय	लभान्वित समितियां	
			समिति संख्या	सदस्य संख्या
2014–15	114.00	113.94	120	3,000
2015–16	76.00	75.89	133	3,325
2016–17 (दिसं. 16)	200.00	115.72	89	2,225

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ (मर्या.) को अनुदान के रूप में वर्ष 2014–15 में रूपये 96.36 लाख, वर्ष 2015–16 में रूपये 61.00 लाख तथा 2016–17 (माह दिसम्बर तक) रूपये 90.00 लाख की सहायता प्रदाय की गई।

3-1-11 eRL; lgdkjh lfefr;ksa dks tyk'k; vkcaVu

मछली पालन में मत्स्य सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विगत तीन वर्षो में जलाशय/तालाब आवंटन किये गये।

Ok"kZ	Rkkykc@Tkyk'k;		YkkHkkfUor lfefr;k	
	संख्या	जलक्षेत्र (हे.)	समिति संख्या	सदस्य संख्या
2014–15	358	1,511	171	4,681
2015–16	361	1,514	173	4,810
2016–17 (दिसं. 16)	128	872	86	2,868

उपर्युक्त के अतिरिक्त मछुआ समूह/व्यक्तियों को भी तालाब/जलाशय पट्टे पर दिये गये।

foxr rhu o"kk dh tkudkjh fuEukulkj g %&

Ok"k	जलाशय		लाभान्वित मछुआ समूह, व्यक्ति	
	संख्या	जलक्षेत्र (हे.)	इकाई संख्या	सदस्य संख्या
2014–15	460	923	437	2,709
2015–16	461	929	439	2,810
2016–17 (दिसं. 16)	195	669	322	2,156

3-1-12 f'k{k.k&izf'k{k.k

3-1-12-1 eRL; ikyd dk izf'k{k.k

विभाग के द्वारा सभी वर्गो (सामान्य,अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति) के मछुआरों को 10 दिवसीय मछली पालन प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रूपये 75/– प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता एवं निवास से प्रशिक्षण स्थान तक आने जाने का एक बार किराया अन्य व्यय रूपये 100/–तथा रूपये 400/– का नायलोन धागा निःशुल्क दिया जाता है। इस प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी रूपये 1250/– व्यय का प्रावधान होता है। वर्ष 2006–07 से विशेष रूप से परम्परागत अति पिछड़े वर्ग के मछुओं को भी शामिल कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

foxr rhu o"kk e izf'kf{kr eNqvk dh tkudkjh fuEukulkj g%&

Ok"k	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (रूपये लाख में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	आवंटन	व्यय
2014–15	5,300	5,300	66.25	66.25
2015–16	6,000	6,000	75.00	75.00
2016–17 (दिसं. 16)	6,500	4,588	81.25	57.35

3-1-12-2 eNqvk dk v/;;u Hke.k

सभी वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्य में अपनायी जा रही मछली पालन तकनीक से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के बाहर दस दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाता है। उक्त प्रशिक्षण के दौरान आने–जाने का किराया रूपये 1250/–, रूपये 1000/–प्रति मछुआ के मान से प्रशिक्षण भत्ता तथा रूपये 250/– अन्य व्यय कुल रूपये 2500/– प्रावधानित है।

foxr rhu o"kk e v/;;u Hke.k ij Hkst x; d"kdk dh tkudkjh fuEukulkj g%&

Ok"k	Hkkfrd ¼la[;k½		foRrh; ¼:i; yk[k e½	
	लक्ष्य	उपलब्धि	आवंटन	व्यय
2014–15	290	290	7.25	7.25
2015–16	400	400	10.00	10.00
2016–17 (दिसं. 16)	510	239	12.75	5.99

3-1-12-3 jhQ'kj dkl

सभी वर्ग के मछुओं को आधुनिक मछली पालन तकनीक से अवगत करवाने के लिए 03 दिवसीय रीफ्रेशर कोर्स वर्ष 2014–15 से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में इकाई लागत रूपये 1,000/– है। 450 रूपये छात्रवृत्ती रूपये 550 क्षेत्रीय भ्रमण एवं आवागमन हेतु है। वर्ष 2014–15 में 10,000 हितग्राही प्रशिक्षित व्यय 100 लाख रहा तथा वर्ष 2015–16 में 10,000 हितग्राहियों का लक्ष्य एवं रूपये 100 लाख का व्यय किया गया। दिसंबर 2016 तक प्रगति 8605 हितग्राही एवं रूपये 86.05 लाख व्यय।

3-1-12-4 foHkkxh; vf/kdkfj;ksa dk jkT; dh ckgj izf'k{k.k

विभाग के अधिकारियों को राज्य के बाहर स्थित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में विषय विशेष के प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा कौशल उन्नयन (Skill Development) हेतु भेजा जाता है, विगत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में भेजे गए अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

Ok"k	vf/kdkfj;ksa dh J.kh	la[;k
2014–15	द्वितीय	0
	तृतीय	20
2015–16	द्वितीय	4
	तृतीय	25
2016–17 (दिसं. 16)	द्वितीय	10
	तृतीय	12

3-1-12-5 f'k{k.k ,oa izf'k{k.k ¼if'k{k.k lLFkku] jk;iqj½

राज्य में विभागीय मत्स्योद्योग प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में संचालित है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में प्रशिक्षण संस्थान को उन्नयन कर सहायक मत्स्य अधिकारी स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप मे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2006–07 से मान्यता प्रदान की गई है।

प्रशिक्षण संस्थान से विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, विवरण निम्नानुसार है:–

Ok"k	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग
2014–15	10	10	01	21
2015–16	09	03	01	13
2016–17 (दिसं. 16)	09	03	01	13

वर्ष 2015–16 में एन.एफ.डी.बी. योजना अंतर्गत 09 जिलों के 270 हितग्राहियों को 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। वर्ष 2016–17 में (दिसंबर 16 तक) 121 हितग्राही प्रशिक्षित किए गए है।

3-1-12-6 foLrkj vkj izf'k{k.k

वर्ष 2012–13 तक रायपुर, सरगुजा, बालोद, बिलासपुर, रायगढ़ एवं कबीरधाम में एक–एक इकाई स्थापित की जा चुकी है। जिला धमतरी, कांकेर, कोरबा, महासमुन्द, दंतेवाड़ा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, दुर्ग एवं राजनांदगांव में कार्य प्रगति पर है। इन इकाईयों में मछुओं को मछली पालन का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराया जाकर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जावेगा। इन इकाईयों से आय अर्जित कर इनका संचालन किया जाना योजना के स्वरूप में सम्मिलित है।

3-1-13 vuqla/kku dk;ZØe

प्रदेश में मछली पालन के विभिन्न विषयों पर व्यावहारिक अनुसंधान शाला में मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को निदान तथा नये कार्यों पर अनुसंधान किया जाता है, तथा ऐसे विषयों का चयन किया जाता है जो मछली पालन को और ज्यादा व्यावहारिक बनाने तथा उसकी उपादेयता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सके।

lgk;d vuqla/kku vf/kdkjh ¼eNyh ikyu½ jk;iqj bdkbZ

ekxj eRL;cht mRiknu

इकाई अंतर्गत वर्ष 2014–15 में 0.15 लाख, वर्ष 2015–16 में 0.25 लाख एवं वर्ष 2016–17 (दिसंबर 16 तक) में 0.08 लाख मांगुर फ्राई उत्पादित किया गया।

xcfl;k eRL; ikyu

वर्ष 2012–13 में निरंक, 2013–14 में 0.60 लाख एवं 2014–15 (दिसम्बर 2014 तक) 0.15 लाख एवं 2016–17 में 0.10 लाख उत्पादन हुआ।

निम्न अनुसंधान कार्य इकाई द्वारा किये जा रहे हैः–

1. तालाबों/जलाशयों में समय–समय पर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करना ।
2. रायपुर एवं दुर्ग/बलौदाबाजार के 25 ग्रामीण तालाबों की मिट्टी एवं जल परीक्षण कर तालाबों की उत्पादकता बढ़ाना।
3. प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में विभागीय अधिकारियों को 10 माह के प्रशिक्षण सत्र में मछली पालन, पानी, मिट्टी की जांच के विषय में जानकारी दी गई।

3-1-14 eRL;ikyu i:lkj

3-1-14-1 >hxkikyu ¼ikyhdYpj½

मत्स्य पालन प्रसार योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा पालन एवं अलंकारिक मत्स्योद्योग के लिये अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया गया है। योजना अन्तर्गत कृषकों को झींगा बीज, मछली बीज क्रय करने तथा खाद एवं खाद्य पदार्थों हेतु तीन वर्ष में अधिकतम रूपये 15,000/— अनुदान का प्रावधान है (प्रथम वर्ष—7500/—, द्वितीय वर्ष—4965/—, तृतीय वर्ष — 2535/—) योजना में मत्स्य पालकों को नगद भुगतान न किया जाकर वस्तु विशेष के रूप में दिया जाता है।

वर्ष	भौतिक		वित्तीय (रूपये लाख में)	
	संचयन (लाख)	उत्पादन (कि.ग्रा.)	आबंटन	व्यय
2014—15	2.960	12915	30.92	30.28
2015—16	6.714	25490	37.17	36.60
2016—17 (दिसं.16)	0.318	19456	45.68	—

3-1-14-2 ekleh rkykck e Liku lo/ku

राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के 0.50 हैक्टर के मौसमी तालाबों में शत—प्रतिशत अनुदान पर स्पान संवर्धन कराकर फ्राई — फिंगरलिंग प्राप्त कर अतिरिक्त आय प्राप्त करने साथ ही राज्य में अतिरिक्त संवर्धन क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2007—08 में प्रथम बार लागू की गई। वर्ष 2014—15 में 185 इकाइयों को, वर्ष 2015—16 में कुल 204 तालाबों में नवीन संवर्धन इकाइयों को सहायता दी गई। वर्ष 2016—17 में 284 इकाई हेतु रूपये 85.20 लाख प्रावधानित है।

3-1-14-3 uko tky vFkok tky d; dh lfo/kk

राज्य में मछुआ हितग्राहियों को मत्स्याखेट उपकरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2007—08 में प्रथम बार लागू की गई । योजना अंतर्गत हितग्राहियों के लिए रूपये 7000/— का जाल एवं रूपये 3000/— की नाव अथवा 10,000 का जाल प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत वर्ष 2014—15 में 808 हितग्राही तथा 2015—16 में 856 हितग्राही लाभन्वित हुए। वर्ष 2016—17 में 1000 इकाई हेतु रूपये 100.00 लाख का प्रावधान है।

3-1-14-4 fQxjfyx Ø; dj lp;u

वर्तमान में राज्य के शासकीय एवं निजी तालाबों में मत्स्य कृषकों द्वारा छोटी साईज (25 एम.एम. से 30 एम.एम) का मत्स्य बीज 10000 नग प्रति हैक्टर की दर से संचयन किया जाता है। कृषक द्वारा यदि फिंगरलिंग साईज का मत्स्य बीज 5000 नग प्रति हैक्टर की दर से संचय कर परिपूरक आहार आदि दिया जाए तो उत्पादकता में काफी वृद्धि होगी।

इस योजना के अंतर्गत मत्स्य कृषक को वस्तु विशेष के रूप में 10000 नग मत्स्यबीज फिगरलिंग प्रति हैक्टर संचयन हेतु पांच वर्षों तक आर्थिक सहायता का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष रूपये 2000/– की सीमा तक सहायता दी जावेगी। वर्ष 2014–15 में 8135 इकाई, वर्ष 2015–16 में 7149 इकाई (नवीन/पुरानी) लाभान्वित। वर्ष 2016–17 में 7850 इकाई (नवीन/पुरानी) का लक्ष्य तथा राशि 157.00 लाख का प्रावधान है। पांच वर्षों तक कुल ईकाई लागत रूपये 10,000/– है।

3-1-14-5 uDly iHkkfor {k= e eRL; cht lp; & यह योजना वर्ष 2009–10 से नवीन रूप में लागू की गई है।

योजनांतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के ऐसे तालाब जिन्हे मत्स्य कृषक पट्टे पर लेने के इच्छुक नहीं है, उनका चयन कर शत्–प्रतिशत् शासकीय व्यय से उनमें मत्स्य बीज संचयन कराया जावेगा। योजना कियान्वयन से ग्राम वासियों को निःशुल्क पौष्टिक भोजन मिलेगा साथ ही मत्स्योत्पादन में वृद्धि होगी। वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 प्रतिवर्ष में प्रति वर्ष रूपये 8.75 लाख व्यय कर 500 तालाबों में संचय कराया गया। वर्ष 2016–17 में भी 8.75 लाख का प्रावधान किया गया है।

3-1-14-6 eNvkjk d fy, QVdj eNyh fod; ;kstuk

यह योजना वर्ष 2010–11 से नवीन रूप से लागू की गई है। योजना अंतर्गत सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ हितग्राहियों को आईस बाक्स, तराजू–बाट, आदि विक्रय उपकरण क्रय करने हेतु प्रति मछुआरा रूपये 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2014–15 में 350 एवं वर्ष 2015–16 में 363 हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्ष 2016–17 में 963 इकाई हेतु रूपये 57.80 लाख का प्रावधान है।

3-1-14-7 itud Ø; ij vuqnku

यह योजना वर्ष 2015–16 से क्रियान्वित है। योजना अंतर्गत हैचरी एव मत्स्य बीज उत्पादकों का प्रजनक बाजार दर पर उपलब्ध करवाने पर प्रजनक उत्पादक की 30 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी। वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमशः रूपये 13.50 एवं 13.75 लाख प्रावधानित है।

3-2 dUnh; ;kstuk,

3-2-1 rkt k ty tho ikyu ,o vUrnsZ'kh; eRL;k|kx dk fodkl %&

प्रदेश के सभी 27 जिलों में योजना चल रही है। विगत तीन वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है :–

rkykcks dk vkcaVu ¼gs-½

Ok"kZ	तालाबों का आवंटन (हैक्टर)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	हितग्राही (सं.)
2014–15	985	2289	7880
2015–16	985	1872	6563
2016–17 (दिसं. 16)	985	659	3358

lap;u ,o eRL; mRiknu &

o"kZ	म.बी.संचयन (स्टें.फ्राई लाख)		मत्स्योत्पादन (मेट्रीक टन)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2014–15	7,456	8,090	2,88,800	2,96,100
2015–16	7,456	8,288	3,18,747	3,24,033
2016–17 (दिसं. 16)	7,510	8,098	3,53,769	2,69,926

cSd Qkbukfulx ¼:i, yk[k e½

o"kZ	ऋण		अनुदान	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2014–15	493	506.59	62.48	62.48
2015–16	455	675.22	102.75	102.75
2016–17 (दिसं. 16)	200	102.28	100.00	14.13

3-2-2 jk"Vªh; eNqvk dY;k.k ;kstuk

3-2-2-1 eRL; thfo;ksa dk nq?kZVuk chek

मछलीपालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्यजीवियों को मत्स्यपालन अथवा मत्स्याखेट के समय दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु निः शुल्क दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। हितग्राही मत्स्य कृषक 18–70 आयु वर्ग के ही इस योजना में सम्मिलित किए जाते हैं तथा नवीन मानदंड (दिसंबर 14 से) अनुसार इनकी वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि रूपये 10.135/– प्रति मछुआरा केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50–50 प्रतिशत के अनुपात में व्यय भार वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत दुर्घटना की स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थाई अपंगता पर रूपये 1,00,000/– तथा स्थायी अपंगता अथवा मृत्यु होने पर उस परिवार के नामित व्यक्ति को रूपये 2,00,000/– की आर्थिक

सहायता दी जाती है। चिकित्सालय में भर्ती होने पर रूपये 10,000/– दिये जातें हैं। वर्ष 2016–17 (दिसंबर तक) में 13 कृषकों की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को बीमा क्लेम के रूप में रूपये 22.00 लाख आर्थिक सहायता दी गई।

विगत तीन वर्षों की बीमित मछुओं की जानकारी संख्या में निम्नानुसार हैः–

Ø-	oxZ	2014&15	2015&16	2016&17 ¼fn l -16½
1.	सामान्य	1,30,000	1,30,000	1,29,990
2.	अनुसूचित जनजाति	67,000	67,000	66,961
3.	अनुसूचित जाति	13,000	13,000	12,979
	;kx	2]10]000	2]10]000	2]09]930

3-2-2-2 eNvk vkokl ;kstuk

प्रदेश में जलाशयों पर मत्स्याखेट करने वाले सक्रिय मछुआरों को मूलभूत सुविधाएं यथा आवास, पेयजल, सामुदायिक भवन (चौपाल) आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जलाशय के समीप ही आवास बनाकर मछुआरों को बसाया जाना है। रूपये 99.60 लाख की योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50 : 50 प्रतिशत के अनुपात के रूप में व्यय भार वहन किया जाना है। इसके अंतर्गत प्रति आवास रूपये 50000/– तथा 10 आवास पर रूपये 30000/– लागत का एक नलकूप एवं 75 आवास पर रूपये 1.75 लाख का एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाना प्रावधानित है। वर्ष 2014–15 तक कुल 1,285 आवास स्वीकृत जिसमें 1085 पूर्ण व 200 प्रगति पर है। वर्ष 2014–15 में रूपये 200 लाख 400 आवास हेतु प्राप्त, वर्ष 2014–15 में 400 आवास हेतु रूपये 300 लाख आबंटित। वर्ष 2015–16 में 400 आवास हेतु रूपये 300 लाख आबंटित।

3-2-2-3 cpr lg jkgr ;kstuk

बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वित की गई है। योजना क्रियान्वयन का 50 प्रतिशत राज्य शासन एवं 50 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत मछुआरों द्वारा 9 माह में अंशदान से रूपये 600/– तथा शासन द्वारा अंशदान रूपये 1200/–कुल रूपये 1800/–हितग्राही के नाम से जमा किए जाते है, जिन्हें बंद ऋतु के तीन माह में 600/–रूपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को प्रदाय किये जाते हैं। वर्ष 2014–15 में 8000 मछुआरों को, वर्ष 2015–16 में 8000 मछुआरों को लाभन्वित किया गया है। वर्ष 2016–17 में (माह दिसम्बर तक) 6665 हितग्राही हेतु रूपये 100 लाख व्यय किए गए।

3-3 dUn {k= ;ktuk, –

3-3-1 jk"Vh; df"k fodkl ;ktuk &

यह योजना वर्ष 2007–08 से भारत शासन द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान पर छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है। योजना अंतर्गत निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2008–09 से कियान्वित की गई है :–

1- **Lo; dh Hkfe ij rkykc fuek.k &** सभी श्रेणी के लघु, सीमांत कृषक, अनु.जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता, 1 हैक्टर जलक्षेत्र निर्माण पर अधिकतम रूपए 5 लाख की सहायता शासन द्वारा दी जाती है। रूपये 1 लाख हितग्राही अंशदान कुल लागत 6.00 लाख है।

2- **lrfyr ,o ifjiljd vkgkj d i;kx gr lgk;rk &** सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु.जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता, कृषकों को शासकीय/विभागीय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा जिन्हें दीर्घावधि तक पट्‌टे पर तालाब आबंटित किए गए हैं, रूपये 0.10 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है।

3- **foLrkj lokvk dk mUu;u &** राज्य एवं जिला स्तरीय सेमीनार आयोजित किये जाते है।

4- **eRL;k[kV gr uko&tky midj.k d; gr vkfFkd lgk;rk&** सभी वर्ग के मत्स्य पालक/मत्स्य पालक समूह/मछुआ सहकारी समितियां जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्‌टे पर आवंटित किए गए हैं। मत्स्य पालकों को नाव जाल क्रय हेतु रूपये 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सह. समिति को नाव/ड्रेग नेट एवं गिल नेट क्रय हेतु रूपये 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।

5- **uohu gpjh fuek.k@iol fufelr gpjh i{k=k dk iujk)kj ¼'kkldh;½ &** इस घटक अंतर्गत नवीन हैचरी निर्माण तथा पूर्व से निर्मित हैचरी अथवा प्रक्षेत्रों का मरम्मत कार्य कर उनका आधुनिकीकरण किया जाता है।

6- **dkYM pu dh LFkkiuk &** मत्स्याखेट उपरांत मत्स्य को ताजा रखकर बाजार तक पहुँचाने एवं हितग्राही को उचित मूल्य दिलवाये के उद्‌देश्य से कोल्ड चेन की स्थापना हेतु 5.00 लाख की सहायता दी जाती है।

7- **ekleh rkykck e eRL;cht lo/ku &** मौसमी तालाबों में मत्स्यबीज संवर्धन कराकर कृषक की आय बढ़ाने एवं अतिरिक्त संवर्धन क्षेत्र विकसित करने के लिये रूपये 0.30 लाख की सहायता (एवं रूपये 0.10 लाख हितग्राही का अंश) दी जाती है ।

8- **rkykck e vxfydk lp;u dk;de &** तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिये रूपये 0.03 लाख की सहायता दी जाती है।

9- **iln'ku bdkbl &** तालाबों की मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रदर्शन इकाई स्थापना हेतु रूपये 1.48 लाख (1.11 लाख शासकीय सहायता एवं रूपये 0.37 लाख हितग्राही अंश) दी जाती है।

10- **tyk'k;k e eRL; vxfydk lp;u &** जलाशयों में अंगुलिका संचयन हेतु 50:50 के अंश में शासकीय अनुदान दिया जाता है।

11- **ufn;k e eRL;k[kV gr uko&tky &** मछुआरों को नदियों में मत्स्याखेंट हेतु नाव–जाल प्रदाय करने हेतु रूपये 0.40 लाख तक (रूपये 0.30 शासकीय एवं रूपये 0.10 लाख हितग्राही का अंश) सहायता दी जाती है।

12- **v/;;u Hke.k &** मत्स्य पालकों का राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम हेतु रूपये 0.03 लाख प्रति हितग्राही की दर से सहायता दी जाती है।

13- **flQDl forj.k &** तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु तालाबों में 'सीफेक्स' नामक इवाई डालने हेतु रूपये 0.032 लाख प्रति इकाई सहायता दी जाती है।

14- **dt dYpj &** मध्यम एवं बड़े सिंचाई जलाायों में 48 बैटरी के फ्लोटिंग केज स्थापित कर उनमें तीव्र बढ़वार वाली मत्स्य (पंगेसियस, तिलापिया) का पालन किया जाता है।

jk"Vh; df"k fodkl ;kstukrxr rhu o"kksa dh ixfr %&

d	fooj.k	bdkbZ	2014&15	2015&16	2016&17¼fnl-16½
1.	प्रदर्शन इकाई निर्माण	हैक्टेयर	31	10	–
2.	परिपूरक आहार वितरण	इकाई	1,600	2,000	1,775
3.	नाव–जाल प्रदाय समितियों को –	संख्या	74	103	45
4	हैचरी निर्माण	संख्या	1	1	–
5	मौसमी तालाबों में मत्स्यबीज संवर्धन	तालाब	167	152	106
6	तालाबों में अंगुलिका का संचयन	तालाब	0	1,000	–
7	स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण	तालाब	0	100	66.50
8	जलाशयों में केज कल्चर	जलाशय	1	0	–
9	जलाशयों में अंगुलिका संचयन	इकाई	7,380	7,800	–
10	नदियों में मत्स्याखेट हेतु नाव–जाल	हितग्राही	100	0	–
11	पंगेसियस कल्चर		2	0	–
12	फुटकर विक्रय योजना	हितग्राही	2,320	2,222	1,740
13	सीफेक्स वितरण	इकाई	3,125	3,000	2,480
14	झींगा पालन	हितग्राही	1	0	–
15	वित्तीय :– आबंटन –	इकाई	**1]324-80**	**1]218-53**	**502-77**
	व्यय –	इकाई	**1]152-99**	**1]218-53**	**602-92**

3-3-2- u'kuy fe'ku Qkj iksVhu lIyheV'l %&
यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से वर्ष 2011–12 में राज्य में लागू की गई है। योजना का उद्देश्य प्रोटीन युक्त आहार उपलब्ध कराना है। चालू वर्ष में योजना अन्तर्गत निम्नानुसार तीन घटक संचालित किए जा रहे है।

3-3-3- Lo;a dh Hkfe ij rkykc fuekZ.k & इसके अंतर्गत इकाई लागत रू. 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर है। रूपये 3.00 लाख प्रति हैक्टेयर तालाब निर्माण कार्य पर 40 प्रतिशत अनुदान तथा तालाब से उत्पादन प्राप्त होने पर रूपये 1.00 लाख इनपुट हेतु अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2011–12 में रूपये 285 लाख आबंटित तथा 178 हैक्टर तालाब निर्मित हुए। वर्ष 2012–13 में भी रूपये 285 लाख आबंटित एवं 178 हैक्टर तालाब निर्मित हुए। वर्ष 2013–14 में 100 हैक्टर तालाब हेतु 280 लाख आबंटित किए गए हैं।

3-3-4 tyk'k; esa dst dYpj &इसके अंतर्गत जलाशयों में फ्लोटिंग केज बनाकर उनमें मत्स्य बीज संचित कर वैज्ञानिक विधि से इनपुटस डालकर अधिकतम उत्पादन लिया जाना है। वर्ष 2011–12 में घोंघा जलाशय, जिला बिलासपुर, वर्ष 2012–13 में सरोदा सागर जिला कबीरधाम 2013–14 में झुमका जलाशय कोरिया में स्थापित एवं 2014–15 में गोंदली जलाशय, बालोद तथा झुमका जलाशय कोरिया में एक–एक यूनिट निर्माणाधीन। इस परियोजना पर अब तक कुल रूपये 18.10 करोड़ की राशि व्यय किए गए हैं।

3-3-5- ,DokdYpj Mobyi esUV Fkq bUVhxzsVsM ,iksp & इस घटक के अन्तर्गत एक क्षेत्रीय इकाई एक्वाकल्चर हेतु विकसित की जाना है। इस इकाई में हैचरी निर्माण, नर्सरी निर्माण, संवर्धन क्षेत्र निर्माण, पोण्डस का निर्माण, फीड मील स्थापना, अधोसंरचना निर्माण, इनपुट्स का उपयोग तथा मार्केटिंग की व्यवस्था की जाना है। वर्ष 2012–13 में एक इकाई हेतु रू. 250 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। यह इकाई नवनिर्मित जिला–बेमेतरा में निर्मित है। इकाई निर्माण में 50 हैक्टर जलक्षेत्र मत्स्य पालन हेतु नव–निर्मित हुए हैं।

3-3-6 ekfRL;dh {ks= dk fy, MkVkcsl ,oa ft;ksxzkfQdy bUQkjes'ku flLVe –

1- dsp ,lsleSUV losZ &शत प्रतिशत् केन्द्रीय अनुदान से उक्त योजना वर्ष 2004–05 से प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत केच एसेस्मेंट सर्वे एवं इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, जियोग्राफकल इन्फॉरमेशन सिस्टम कुल तीन घटक सम्मिलित हैं। वर्ष 2016–17 में दिसंबर तक रूपये 25.07 लाख का आबंटन उपलब्ध है। योजना अंतर्गत 01 सहायक संचालक, 01 तकनीकी सहायक एवं 2 अनुसंधाता के पद स्वीकृत है। योजना अंतर्गत राज्य के तालाबों/जलाशयों से मत्स्याखेट एवं अन्य सैंपलिंग सर्वे कर प्रतिवेदन भारत शासन को भेजा जाता है।

2- esfiax vkQ Lekyj okVj ckWMht & 0.2 से 0.5 हैक्टर तक के तालाबों का रीमोट संसिंग पद्धती से सर्वेक्षण कर विकासखण्डवार नक्शे तैयार करने एवं विस्तृत डाटाबेस तैयार करने हेतु भारत शासन से प्रथम चरण में 08 जिलों (रायपुर, बालौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा एवं कबीरधाम) के लिए 2.89 करोड़ रूपये प्राप्त वर्ष 2016–17 (दिसंबर तक) कबीरधाम, रायपुर एवं दुर्ग जिले का कार्य पूर्ण। शेष 05 जिलों का कार्य जारी है।

d{t dYpj

भारत शासन द्वारा शत्–प्रतिशत् सहायता से राष्ट्रीय प्रोटीन परिपूरक अभियान अंतर्गत (आर.के. वी.वाई. योजना में) चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम अंतर्गत प्रारंभ में रूपये 334 लाख की इकाई लागत से कुल चार इकाई भारत शासन द्वारा स्वीकृत की गई। जिसमें वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में सरोदा सागर–2 इकाई एवं क्षीरपानी जलाशय–1 इकाई (जिला–कबीरधाम), घोंघा जलाशय–1 इकाई (जिला–बिलासपुर) में केज स्थापित हो चुके हैं। इसके पश्चात् वर्ष 2013–14 में एक केज तौरेंगा जलाशय–1 इकाई गरियाबंद एवं एक केज झुमका जलाशय– 1 इकाई जिला–कोरिया में स्थापित वर्ष 2014–15 में गोंदली जलाशय–1 इकाई बालोद, झुमका जलाशय–1 इकाई कोरिया, घुनघुटा जलाशय–1 इकाई सरगुजा एवं एन.एफ.डी.बी. फण्ड से क्षीरपानी जलाशय–1 इकाई कबीरधाम में स्वीकृत है।

इस कार्यक्रम अंतर्गत जलाशय स्थल पर ही केज में उपयोग करने हेतु मत्स्य आहार भंडारण के लिए जलाशय स्थल पर ही गोदाम निर्माण कराया गया है, तथा मत्स्य परिवहन हेतु नवीन वाहन भी उपलब्ध करवाए गए हैं।

केज–कल्चर कार्यक्रम में 6X4X4 मीटर के 48 केज प्रति इकाई निर्मित किए जाते हैं इनमें तीव्र बढ़वार वाली पंगेशियस मछली पाली जाती है। प्रति केज 4000 मत्स्य अंगुलिका संचय किया जाता है एवं अपेक्षित उत्पादन प्रति केज 3000–5000 किलोग्राम है।

माह दिसम्बर 2015 तक सरोदा सागर जलाशय, घोंघा जलाशय, क्षीरपानी जलाशय, गोंदली जलाशय, एवं झुमका जलाशय के केज से 475 मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादित हो चुकी है। कुल 374.38 लाख रूपये की आय हुई।

देश में केज कल्चर (जलाशयों में) के क्षेत्र में प्रदेश अग्रणी है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखण्ड, बिहार, तामिलनाडू, आन्ध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं नई–दिल्ली के अधिकारियों एवं प्रगतिशील मत्स्य कृषकों द्वारा इस कार्य का अवलोकन किया गया है।

वर्ष 2016–17 से सरोदा सागर, क्षीरपानी, झुमका, घोंघा, बांगो, तौरेंगा एवं गोंदली जलाशय के केज निजी क्षेत्र को संचालन हेतु पट्टे पर दिए गए है।

3-4 fo'o cSd dh lgk;rk ls pykbZ tkus okyh ;kstuk,a

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाए विभाग में संचालित नहीं है।

3-5 fons'kh lgk;rk izkIr ;kstuk,a@ifj;kstuk,a

विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाए विभाग में वर्तमान में संचालित नहीं है।

3-6 vU; ;kstuk,a %&

3-6-1 jk"Vªh; eRL;dh; fodkl cksMZ &

भारत शासन द्वारा गठित राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान पर मछुआरों के हितार्थ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2008–09 में इस योजना अंतर्गत निम्नानुसार घटकों के द्वारा मछुआरों को लाभान्वित किया जा रहा है :–

uohu rkykc fuekZ.k ¼ixfl;l dYpj½ & इस घटक अंतर्गत नवीन तालाब निर्माण कर अथवा पूर्व से निर्मित तालाब में, पंगेसियस मत्स्य का पालन किया जाता है। तालाब निर्माण हेतु रूपये 3.00 लाख प्रति हैक्टर इकाई लागत है एवं 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। पंगेसियस मत्स्य पालन हेतु रूपये 5.00 लाख हैक्टर इकाई लागत है एवं 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2010–11 में 11 हितग्राहियों को 14 तालाब निर्माण (30.22 हैक्टेयर) पर रूपये 78.57 लाख अनुदान दिया गया। पूर्व निर्मित 4 तालाबों के लिए रूपये 12.98 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्ष 2011–2012 में 21 तालाब (40.712 हैक्टर) निर्मित कर मत्स्य पालन हेतु रूपये 102.55 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्ष 2012–13 में 16 तालाब में पंगेसियस सूची मत्स्य पालन हेतु 21.254 लाख अनुदान दिया गया।

eRL; cht mRiknu gsrq gSpjh dh LFkkiuk &

8 से 10 मिलीयन फ्राई क्षमता वाली एक मत्स्य बीज हैचरी के लिए इकाई लागत रूपये 10 लाख सभी वर्ग के मत्स्य पालकों को हैचरी निर्माण हेतु 20 प्रतिशत राशि सीमा रूपए 2 लाख, की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2008–09 में शासकीय एवं निजी कुल 4 हैचरी को रूपये 6.446 लाख 2010–2011 में 5 हैचरी हेतु रूपये 15.12 लाख एवं शासकीय मत्स्य बीज (गेज प्रक्षेत्र, कोरिया) प्रक्षेत्र के पुनरद्वार हेतु रूपये 2.88 लाख स्वीकृत हुई। वर्ष 2012–13 में एक हैचरी सुधार पर रूपये 1.60 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

if'k{k.k gr| &

वर्ष 2010—11 में 28 एवं 2015—16 से 10 शासकीय अधिकारियों को राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट पर ले जाया गया।

tyk'k;k e: 80&100 ,e-,e- lkbt dh vxfydk lp;u gr| lgk;rk &

लघु जलाशयों में (40 हैक्टर से 1000 हैक्टर तक 2000 अंगुलिका प्रति हैक्टर) मध्यम वर्ग के जलाशय में (1001 हैक्टर से 5000 हैक्टर 1000 अंगुलिका प्रति हैक्टर) तथा वृहद जलाशयों में (5001 हैक्टर से अधिक के जलाशय में 500 अंगुलिका 80—100 एम.एम. साईज की) संचयन हेतु सहायता का प्रावधान है। वर्ष 2012—13 में प्रदेश के जलाशयों में 77.59, 2013—14 में 69.57 लाख अंगुलिका संचयन की गई। दिसंबर 2013—14 में 6 जलाशयों में 69 लाख अंगुलिका संचित की गई। वर्ष 2014 —15 में 11 जलाशयों हेतु 27.82 लाख मत्स्य बीज संचय किया गया। वर्ष 2015—16 में 13 जलाशयों में 33.24 लाख अंगुलिका संचयन किया जायेगा।

3-6-2 jk"Vh; eRL;thoh lgdkjh l?k e;kfnr ubl fnYyh &

यह संस्था फिशकोफेड' के नाम से जानी जाती है। इस संघ का उद्‌देश्य भारत में मत्स्य सहकारी आंदोलन का उत्थान एवं विकास करना, मत्स्य सहकारिता के क्षेत्र में मछुआरों को उनके विकासात्मक गतिविधियों के सृजन संबंधी प्रयासों को सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर गतिशील बनाना है।

संस्था द्वारा उपभोक्ताओं को ताजी मत्स्य उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने हेतु हाइजीनिक मत्स्य विक्रय केन्द्र का तेलीबांधा, रायपुर में संचयन किया जा रहा है।

o"k 2008&09 e: l?k dk {k=h; dk;ky; jk;iij e: LFkkfir gvk] l?k }kjk &

1. कुम्हारी जलाशय, रायपुर में जल जीव पालन विकास
2. मत्स्य जीवियों का शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. सेमिनार आयोजन आदि कार्यकम चलाए जा रहे हैं।

वर्ष 2014—15 में 2,10,000 एवं 2015—16 में 2,10,000 वर्ष 2016—17 में 2,09,930 मत्स्यजीवियों का दुर्घटना बीमा किया गया।

3-6-3 vU; foHkkxksa }kjk lapkfyr ;kstuk,a –

मछली विभाग द्वारा राज्य में अन्य विभागों द्वारा चलाए जा रहे योजना/कार्यक्रमों के माध्यम से मत्स्य पालन गतिविधियां संचालित की जा रही है। अन्य विभागों की योजनाओं के माध्यम से मछुओं को ऋण, अनुदान, समन्वित मत्स्य पालन, स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण, प्रशिक्षण, इनपुट्स प्रदाय, स्व सहायता समूहों का गठन कर प्रत्यक्ष रोजगार तथा निर्माण कार्यों के माध्यम से अन्य रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में किए गए कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

;kstuk dk uke	dk;Z dk fooj.k	bdkbZ la[;k	jkf'k ¼:- yk[k½	fgrxkgh la[;k	jkstxkj l`tu ¼ekuo fnol yk[k e½
बी.आर.जी.एफ.	मत्स्याखेट, उपकरण वितरण मत्स्य बीज उत्पादन कार्य।	01	10.62	106	0.106
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	पॉण्ड कल्चर, प्रशिक्षण परिपूरक आहार	01	6.45	40	0.040
कृषि विभाग	पॉण्ड कल्चर, पोखर निर्माण, नाव, जाल, बीज वितरण,	06	15.27	362	0.115
एकीकृत आदिम जाति विकास परियोजना	बैकयार्ड फिशरी	17	431.98	2023	2.330
एकीकृत कार्य योजना	पंगेसियस कल्चर, प्रशिक्षण	02	14.57	290	0.010

3-6-4 NRrhlx< ykd lsok xkjaVh fu;e 2011 –

नियम अंतर्गत मछली पालन विभाग हेतु निर्धारित कार्यक्रमों के लिए प्राप्त एवं निराकृत आवेदनों की तीन वर्ष की प्रगति निम्नानुसार रही :–

कार्य का विवरण	2014–15 में निराकृत	2015–16 में निराकृत	2016–17 (दिसंबर 16 तक)		
			प्राप्त	निराकृत	लंबित
स्वत्व शुल्क आधार पर मत्स्याखेट हेतु आवेदन	27	23	13	13	–
तालाब पट्टे पर लेने हेतु आवेदन	1256	836	394	391	–
शिक्षण प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए आवेदन	6056	9817	4828	4668	03
बीमित मछुओं की बीमा राशि के प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत।	34	18	02	02	160
मछलीपालन हेतु हितग्राहियों को ऋण प्रदाय	691	680	370	357	–
;kx vkonu	**8064**	**11374**	**5607**	**5431**	**176**

वर्ष 2016–17 में प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही जारी है।

3-6-5 lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 –

अधिनियम अंतर्गत वर्ष 2016 (जनवरी से दिसंबर 2016) में प्राप्त आवेदनों की जानकारी निम्नानुसार है :–

dz-	fooj.k	la[;k
1.	**ikIr vkonu**	**317**
2.	**Lohd`r**	**312**
3.	**vLohd`r**	**05**
4.	**fujkd`r**	**312**
5.	**yfcr**	**00**

Hkkx&pkj

lkekU; iz'kklfud izdj.k

foHkkxh; tkap

प्रथम श्रेणी के एक अधिकारी के प्रकरण पर कार्यवाही जारी। द्वितीय श्रेणी निरंक, तृतीय श्रेणी के एक एवं चतुर्थ श्रेणी में निरंक प्रकरण विचाराधीन है।

inksUufr

विभागीय पदोन्नति के प्रस्ताव निम्नानुसार शासन को प्रस्तुत किये गये है।

Ø-	inksUufr dk fooj.k	izf"kr izLrko Øekad@fnukad
1.	उप संचालक से संयुक्त संचालक – 1 पद	136 / 30.01.2016
2.	सहायक संचालक से उप संचालक – 1 पद	856 / 03.08.2015

lsokfuo`Rr

वर्ष 2016–2017 में दिनांक 31.12.2016 तक 09 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए।

dz	Js.kh	la[;k
1.	प्रथम	–
2.	द्वितीय	–
3.	तृतीय	07
4.	चतुर्थ	06
	;ksx	**13**

वर्ष 2016–17 में 31.12.2016 तक तृतीय श्रेणी के 06 तथा चतुर्थ श्रेणी के 04 कुल 10 शासकीय सेवक दिवंगत हुए।

Hkkx&ikp

vfHkuo ;kstuk,a

5-1 भारत शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्र क्षेत्र योजना, क्रार्यक्रम को नवीन योजना नील क्रांति के तहत समाहित कर नील क्रांति कार्यक्रमों के घटकों से राज्य में मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत मत्स्य पालन से जुडने वाले हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदाय विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	कार्य योजना	ईकाई लागत	वर्ष 2016–17 दिसंबर तक प्रावधान	
			ईकाई	राशि
1.	मत्स्य बीज उत्पादन हेतु सरकुलर हैचरी की स्थापना	रू. 25.00 लाख/हैचरी (रू.12.50 लाख केन्द्रांश एवं रू. 12.50 लाख कृषक का अशंदान)	2	25.00
2	पैलेट फिश फीड मील (गोली के रूप में मत्स्य आहार) उत्पादन हेतु संयत्र की स्थापना	रू. 25.00 लाख/फिश फीड मील (रू.12.50 लाख केन्द्रांश एवं रू.12.50 लाख कृषक का अशंदान)	10	125.00
3	तालाबों में आक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने हेतु एरियेटर की स्थापना	रू. 0.45 लाख/ऐरियेटर (रू. 0.15 लाख केन्द्रांश रू. 0.15 लाख रा.एवं 0.15 लाख कृषक अंशदान	1016	305.00
4	अन्तर्देशीय मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर का विकास (तालाबों के जीर्णोद्वार एवं इनपुट हेतु राशि)	रू. 5.00 लाख (तालाबों की जीर्णोद्वार एवं इनपुटस हेतु लागत राशि रू. 2.50 लाख केन्द्रांश एवं रू. 2.50 लाख राज्याशं)	100	200.00
5	मत्स्य बीज संवर्धन पोखर का निर्माण	रू. 3.00 लाख/ईकाई (रू. 1.50 लाख केन्द्रांश एवं रू. 1.50 लाख कृषक का अंशदान)	27 हैक्टर	40.50
6	जलाशयों में फिगरलिंग मत्स्य बीज का संचयन	रू. 1000/हैक्टर	2400 हैक्टर	24.00
7	बर्फ संयंत्र की स्थापना	रू. 11.00 लाख/ईकाई (रू. 5.50 लाख केन्द्रांश एवं रू. 5.50 लाख कृषक का अंशदान)	6	33.00
8	आटो रिक्शा के साथ आईस बाक्स	रू. 2.00 लाख/ईकाई (रू. 1.00 लाख केन्द्रांश एवं रू. 1.00 लाख कृषक का अंशदान)	38	38.00
9	मोटर साइकिल के साथ आईस बाक्स	रू. 0.60 लाख/ईकाई (रू. 0.30 लाख केन्द्रांश एवं रू. 0.30 लाख कृषक का अंशदान)	166	50.00
10	साईकिल के साथ आईस बाक्स	रू. 0.03 लाख/ईकाई (रू. 0.015 लाख केन्द्रांश एवं रू. 0.015 लाख कृषक का अंशदान)	800	12.00
11	फुटकर मत्स्य विक्रय दुकान की स्थापना	रू. 10.00 लाख/ईकाई (रू. 5.00 लाख केन्द्रांश एवं रू. 5.00 लाख कृषक अंशदान/महासंघ)	20	100.00
12	स्वयं की जमीन पर नवीन तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन	रू. 7.00 लाख/हेक्ट. (रू. 3.50 लाख केन्द्रांश एवं रू. 3.50 लाख कृषक अंशदान)	200 हैक्टर	700.00
13	बचत–सह–राहत योजना	रू. 0.045 लाख/कृषक (रू. 0.015 लाख केन्द्रांश, रू. 0.015 लाख राज्यांश एवं रू. 0.015 लाख कृषक अंशदान)	6665 कृषक	200.00
14	मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा	रू. 20.34/कृषक (रू. 10.17 केन्द्रांश एवं रू. 10.17 राज्यांश)	2,10,000	0.00
15	स्ट्रेंग्थिनिंग ऑफ डाटाबेस एंड जी.आई. एस. ऑफ फिशरीज सेक्टर	100 प्रतिशत केन्द्रांश	27 जिले	95.50
	;kx %			**1947-50**

5-2 rkykck d ty enk icl/ku ,o eRL; of) dju rFkk eRL; chekjh jkdFkke gr mi;kxh lkexh ij vkfFkd lgk;rk &

राज्य के मत्स्य उत्पादकों को तालाबों में मत्स्य उत्पादन अवधि के दौरान उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव में कमी के लिए मृद्रा प्रबंधन एवं जल की गुणवत्ता बनाए रखकर उत्पादकता में वृद्धि एवं हितग्राही की आय में वृद्धि योजना का उद्देश्य है। इस हेतु हितग्राही को आवश्यक दवाईयां एवं जल तथा मृदा उपचार हेतु तीन वर्षो में रूपये 16500/– की आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगीं। वर्ष 2016–17 में रूपये 5.00 लाख प्रावधानित है।

5-3 ithdr eNvk lgdkjh lfefr;k dk :i; 3-00 yk[k dk vunku&

राज्य की सभी वर्ग की मछली पालन में सक्रीय पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को तीन वर्ष में रूपये 3.00 लाख की सहायता उपलब्ध करवाई जावेगी। आर्थिक सहायता मछली बीज,पट्टा राशि एवं मत्स्याखेट उपकरण हेतु प्रथम वर्ष में रूपये 1.35 लाख तक द्वितीय वर्ष में 0.90 लाख तक तथा तृतीय वर्ष में अधिकतम रूपये 0.75 लाख की आर्थिक सहायता दी जावेगी।

5-4 mUu;u if'k{k.k&

प्रदेश के मछुआरों की तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु उन्नयन प्रशिक्षण (Refresher Training) योजना प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी रूपये 1000/– का व्यय स्वीकृत है। जिसमें रूपये 450/– शिष्यवृत्ति एवं रू. 550/– क्षेत्रीय भ्रमण, आने–जाने का व्यय एवं अन्य व्यय है।

Hkkx&N%

foHkkx }kjk fudky tk jg idk'ku %&

मछली पालन के तकनीकी साहित्य के रूप मे पाम्पलेट, फोल्डर तथा बुकलेट का प्रकाशन किया गया है।

Hkkx&lkr
Lkkjka'k

7.1 मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में सतत् प्रयासों के तहत् आलोच्य वर्ष 2016–17 (माह दिसम्बर 2016 तक) में 153.71 करोड़ मत्स्य बीज स्टे. फ्राई का उत्पादन किया गया जो गत वर्ष से 4.54 करोड़ स्टें. फ्राई अधिक है।

7.2 प्रदेश में मत्स्योपादन की उपलब्धि वर्ष 2016–17 में (माह दिस. 16 तक) 76 प्रतिशत रही।

7.3 आलोच्य वर्ष में (दिसम्बर 2016 तक) मत्स्योद्योग कार्यो से 113 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन हुआ।

7.4 मछुआ कल्याण कार्यक्रम के तहत मछुआरों की सुविधा हेतु 669 मछुआ आवास निर्मित। वर्ष 2015–16 में रूपये 300 लाख की लागत से 400 मकान स्वीकृत।

7.5 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 (माह दिसम्बर 2016 तक) 106 तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन, 66 हैक्टर में तालाब निर्माण किया गया, 45 समितियों को मत्स्याखेट हेतु नावजाल प्रदाय 2480 कृषकों को सिफेक्स वितरण किया गया। 1740 हितग्राहियों को फुटकर विक्रय हेतु सहायता प्रदाय। 1775 हितग्राहियों को परिपूरक आहार प्रदाय।

7.6 (अ) राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड से वर्ष 2015–16 में 13 जलाशयों में 33.24 लाख मत्स्य बीज संचित कराया गया।

(ब) 'हाइजीनिक' मछली बाजार रूपये 252.61 लाख की लागत से रायपुर में 2 बनाये जा रहे हैं, एन.एफ.डी.बी. द्वारा 210.22 लाख रूपये बिलासपुर व दुर्ग बाजार हेतु स्वीकृत किए बिलासपुर एवं दुर्ग के बाजार निर्मित एवं लोकार्पित।

7.7 मछुआ दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक) में 13 मछुओं की दुर्घटना मृत्यु होने पर रूपये 22.00 लाख आर्थिक सहायता दी गई, कुल 2,09,930 मछुओं का दुर्घटना बीमा किया जा रहा है।

7.8 नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट अंतर्गत भारत शासन से शत् प्रतिशत् अनुदान पर प्राप्त राशि रू. 8.20 करोड़ से 396 हैक्टेयर के नवीन तालाब निर्मित साथ ही रूपये 22.98 करोड़ से राज्य के जलाशयों में 07 केज कल्चर यूनिट स्थापित।

7.9 मत्स्य कृषकों को निःशुल्क उचित परामर्श एवं जानकारी प्रदान करने हेतु वर्ष 2013–14 में एस. एम.एस. सेवा प्रारंभ, दिसंबर' 16 तक कुल 95 हजार हितग्राहियों को संदेश भेजे गए।

7.10 उपभोक्ताओं को ताजी मछली प्राप्त हो इस हेतु रायपुर, भिलाई में एक–एक 'हाईजीनिक' रीटेल आऊटलेट स्थापित।

7.11 शासकीय योजनाओं में अनुदान का सीधा लाभ हितग्राहियों को देने हेतु डी.बी.टी. योजना प्रारंभ हुई।

7.12 वर्ष 2016 में मछली पालन विभाग, छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट कार्य हेतु भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद, नई दिल्ली द्वारा 9 वां एग्रीकल्चर लिडरशीप अवार्ड (मछली पालन के क्षेत्र में) दिया गया है।

******

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2016–17

मछली पालन विभाग

foHkkxh; iz’kkldh; ifronu

o"kZ 2016&17 ¼1-4-2016 ls 31-12-2016½

NRrhlx< 'kklu

foHkkx	& eNyh ikyu foHkkx
Hkkjlk/kd ea=h	& ekuuh; Jh c`tekgu vxzoky
lalnh; lfpo	& Jh rks[ku lkgw

lfpoky;

vij eq[; lfpo	& Jh vt; flag ¼vkbZ-,-,l-½
lfpo	& Jh vuqi dqekj JhokLro ¼vkbZ-,Q-,l-½
voj lfpo	& Jh vCckl [kku
fo'ks"k dRrZO;LFk vf/kdkjh	& Jh dk'kyUnz feJk

foHkkxk/;{k

lapkyd] eNyh ikyu	& Jh ohjsUnz dqekj 'kqDyk

foHkkxh; iz'kkldh; ifrosnu

eNyh ikyu foHkkx] NRrhlx<+ o"kZ 2016&17 ¼fnlEcj] 2016½

&%% vuqØef.kdk %%&

fooj.k	i`- Ø-
Hkkx & ,d	**01&09**
विभागीय संरचना	01
विभाग का स्वरूप एवं अधीनस्थ कार्यालय	02
विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण	02—04
विभाग के दायित्व	05
विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	05—07
विभाग की प्रमुख विशेषताएं	07
महत्वपूर्ण सांख्यिकी वर्ष 2015—16	08—09
Hkkx & nks	**10&11**
बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)	10
बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)	11
Hkkx & rhu	**12&29**
राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना	12
अ. राज्य योजनाएं	12—19
ब. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	20—26
स. विश्व बैंक, विदेशी सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं, एनएफडीबी	27
द. फिशकोपफेड	28
ई. अन्य योजनाएं, लोक सेवा गारंटी एवं सूचना का अधिकार	29
Hkkx & pkj	**30**
सामान्य प्रशासनिक विषय	30
Hkkx & ikap अभिनव योजना	**31** 31
Hkkx & N%	**32**
विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	32
Hkkx & lkr	**33&34**
सारांश	33—34